भारत में महिला श्रमिक की आर्थिक स्थिति का विश्लेषात्मक अध्ययन

सुनीता चौहान,
सहायक प्राध्यापक
कैरियर महाविद्यालय, भोपाल

सारांश

वर्तमान युग को हम कितना भी विकसित एवं शिक्षित समाज का हिस्सा मानते परंतु हमारी मानसिकता एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार महिलाओं के प्रति व्याप्त है, भारतीय समाज में नारी को समानता का दर्जा नहीं प्राप्त है। भारत वर्ष में कामकाजी महिलाओं को कामकाज के अतिरिक्त घरेलू कार्यों के लिए भी पूरी मशक्कत करनी पड़ती है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से उद्योग, सेवा एवं कृषि गतिविधियों में भाग लेकर घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों जहां महिलाओं के काम की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च एवं शहरी क्षेत्रों में निम्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो घरेलू या खेती–बाड़ी, पशुपालन, इंधन बटोरने, ईंट भट्टे या निर्माण कार्य में संलग्न तथा कुटीर उद्योग की गतिविधियों जैसे कार्य संभालती है उनका आर्थिक मूल्यांकन नहीं हो पाता न ही उन्हें रोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। समाज में उनकी भागीदारी को स्वीकार नहीं किया जाता जबकि देश के कुल उत्पादन का 80 से 90 प्रतिशत महिलाओं के सहयोग से किया जाता है। इस शोध पत्र के माध्यम से महिलाओं श्रमिकों की स्थिति का अवलोकन किया गया है।

शब्दकोष– महिला श्रमिक, अर्थव्यवस्था, रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र, घरेलू उत्पाद, खेती–बाड़ी, पशुपालन।

प्रस्तावना:–

किसी भी देश की रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था होती है यदि देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तो उस देश की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने के लिए जहाँ एक ओर निजीकरण में वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी तरफ रोजगार के अवसरों में कमी हो रही है। भारतीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी चिंता का विषय है। भारत में अनेक क्षेत्रों में संगठित और असंगठित श्रमिक कार्यरत है जैसे बीड़ी उद्योग, कपड़ा उद्योग, गलीचा उद्योग आदि। इन श्रमिकों में महिलाएं भी सक्रिय रूप से सहयोगी है।

भारत में श्रम शक्ति पर हम विचार करें तो पाते है कि भारत के आर्थिक विकास में महिला श्रमिकों की उल्लेखनीय भूमिका है, लेकिन रोजगार के अवसर एवं गुणवत्ता की दृष्टि से वे पुरूषों से पीछे रह जाती हैं। इसके सामाजिक एवं आर्थिक कारण है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या देश की कुल महिलाओं का 25.6 प्रतिशत है। अधिकांश महिला श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिकों में से 87 प्रतिशत खेतिहर मजदूर है, शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं घरेलू उद्योगों, छोटे छोटे व्यवसायों और नौकरी तथा भवन निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। प्रमुख उद्योगों में महिला कर्मचारियों की संख्या के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतर महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। बिजली, गैस, पानी इत्यादि क्षेत्रों में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। महिला श्रमिकों के बारे में सरकार की नीतियों में उनका मुख्य उद्देश्य महिला श्रमिकों के काम में आने वाली अड़चनों को समाप्त करना वेतन या मजदूरी के बारे में सौदेबाजी कर पाने की उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने एवं मजदूरी और कार्यस्थिति में सुधार लाना, एवं उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर केन्द्रित है। इस शोध के माध्यम से महिला श्रमिकों की स्थिति विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं उसका उन्हें कितना लाभ मिल जाता है। इसका अवलोकन किया गया है।

तालिका क्रमांक –1

संगठित एवं गैर संगठित क्षेत्रों में रोजगार

(1983–2000)

ल्मंत	1983	1988	1994	1999.200
म्जिपउंजमक चवचनसंजपवद	718ण्21	790	895ण्05	1004ण्1
संइवनत वितबम	308ण्64	333ण्49	391ण्94	406ण्05
म्उचसवलमक	302ण्75	324ण्29	374ण्29	397
न्दमउचसवलउमदज तंजम ; चमत बमदज वि संइवनत वितबमद्ध	1ण्91	2ण्76	2ण्79	2ण्23
म्उचसवलउमदज पद वतहंदप्रमक ेमबजवत	24ण्01	25ण्71	25ण्71	28ण्11
म्उचसवलउमदज पद नदवतहंदप्रमक ेमबजवत	**278ण्74**	**298ण्58**	**298ण्58**	**368ण्89**

उद्देश्य–

- महिला श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना।
- भारत में महिला श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकार की नीतियों की भूमिका का विश्लेषण करना।
- अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सुझाव देना।

शोध प्रविधियाँ

प्रस्तुत शोध पत्र में विवरणात्मक द्वितीय संमकों का प्रयोग किया गया है। द्वितीय समंकों के संकलन के विभिन्न स्रोत जैसे वार्षिक प्रतिवेदन, शोध क्षेत्र, शोध पत्र, आर्टीकल, समाचार पत्र, पुस्तकें एवं इंटरनेट के माध्यम से जानकारियाँ एकत्रित की गई हैं।

साहित्य का पुनरावलोकन

- एम. एच. मेथ्यू और एम. पी. मेथ्यू (1981) वोमेन्स आर्गेनाइजेषन एण्ड वीमेन्स इन्वेसटर इस शोध ग्रन्थ में केरल राज्य मे स्थित महिला श्रमिको की सामाजिक संरचना की भूमिका एवं वहॉ के आर्थिक उत्पादक सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रो मे नारी संगठन एवं उनके क्रिया कलापो पर व्यापक रूप से प्रकाष डाला गया है।

- सरल एवं संघेवाद (1980) महिला श्रमिको की समस्याओं का अध्ययन प्रस्तुत शोध ग्रन्थ मे भारतीय समाज मे महिला श्रमिका के लिए समय पर कार्य करना समय पर मज़दूरी न मिलना धोखा धड़ी, धमकी, पिटाई, यौन शोषण एवं ऋणग्रस्तता पर प्रकाष डाला गया है।
- सगुना बी. (2001) महिलाओं के आर्थिक सषक्तिकरण के लिए योजनाएं शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध ग्रन्थ मे महिलाओं के आर्थिक विकास मे योगदान एवं समाज मे उन्हे सम्मानित स्थान दिलाने मे हो रहे प्रयास एवं सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया है।
- कुमार षिव (2014) महिला श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में शोधार्थी ने महिला श्रमिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराना जिससे वे जागरूक होकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके एवं अपने अधिकारो के प्रति जागरूक को सके।

भारत में महिला श्रमिकों की स्थिति–

भारत की श्रम शक्ति में महिला श्रमिकों का प्रमुख स्थान है लेकिन रोजगार के स्तर और गुणवत्ता की दृष्टि से वे पुरूषों से पीछे रह जाती है। भारत की जनगणना (2001) के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या 25.60 प्रतिशत है यानी देश में महिलाओं की कुल संख्या 49 करोड़ 60 लाख में से 12 करोड़ 72 लाख 20 हजार महिलाएं श्रमिक है। अधिकांश श्रमिक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रमिकों में 87 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो घरेलू या खेती–बाड़ी, पशुपालन, इंधन बटोरने तथा कुटीर उद्योग की गतिविधियों जैसे काम संभालती है, उनका आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता और उन्हें रोजगार की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता फिर भी संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की आबादी लगातार बढ़ रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत 31.06 करोड़ लोगों में पुरूषों तथा महिलाओं की संख्या क्रमशः 19.72 करोड और 11.14 करोड़ थी। शहरों में 9.18 करोड के रोजगार में पुरूषों की संख्या 7.62 करोड़ और महिलाओं की 1.15 करोड़ थी। आंकड़ों से स्पष्ट होता है

कि गांव में रोजगार के अवसर अधिक है और वहां कामकाजी महिलाओं की संख्या का अनुपात शहरों की तुलना में अधिक है, किन्तु गांवों में महिलाओं के रोजगार और उनकी मजदूरी का स्तर काफी नीचे रहता है। अधिकतर महिलाएं अशिक्षित और अकुशल होने के कारण श्रम आधारित काम करती है और उन्हें वेतन देने के मामले में भी भेदभाव बरता जाता है। शहरी क्षेत्रों की बात की जाए ता यहां 80 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं घरेलू उद्योगों, छोटे–मोटे व्यवसायों और नौकरी तथा भवन निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रही है। संगठित क्षेत्र (निजी एवं सार्वजनिक) में 31 मार्च 2002 को महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 49 लाख 35 हजार थी। यह देश में संगठित क्षेत्र के कुल रोजगार का 17.8 प्रतिशत है एक विश्लेषण के अनुसार अधिकतर सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा क्षेत्रों में कार्यरत है। बिजली, पानी गैस इत्यादि क्षेत्रों में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। सन् 2000 में फैक्ट्रियों और बागानों में महिला श्रमिकों की संख्या कुल कर्मचारियों का क्रमशः 10ःतथा 5ः थी। महिला श्रमिकों के बारे में सरकार की नीतियों का मुख्य ध्यान उनके काम में आने वाली कठिनाइयों को समाप्त करने का प्रयास करना, महिला श्रमिकों को प्राप्त होने वाली मजदूरी के बारे में सौदेबाजी कर पाने की उनकी क्षमता बढ़ाना, जहां वो कार्यरत है वहां की कार्य परिस्थितियों में सुधार लाना एवं कार्यकुशलता में वृद्धि करना एवं उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर केन्द्रित है।

तालिका–2

भारत में कुल श्रमिकों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार

च्वचनसंजपदवध्ँवतामते	चमतेवदे		डंसम	थ्मउंसम
1	2		3	4
च्वचनसंजपवद	ज्वजंस	1ए21ए05ए69ण573	62ए31ए21ए843	58ए74ए47ए730
ॅवतामते		48ए17ए43ए311	33ए18ए65ए930	14ए98ए77ए381
च्मतबमदजंहम वि ॅवतामते		39ण79	53ण26	25ण51
च्वचनसंजपवद	त्नतंस	83ए34ए63ए448	42ए76ए32ए643	40ए58ए30ए805
ॅवतामते		34ए85ए97ए535	22ए67ए63ए068	12ए18ए34ए467
च्मतबमदजंहम वि ूवतामते		41ण83	53ण03	30ण02
च्वचनसंजपवद	न्तइंद	37ए71ए06ए125	19ए54ए89ए200	18ए16ए16ए925
ॅवतामते		13ए31ए45ए776	10ए51ए02ए862	2ए80ए42ए914
च्मतबमदजंहम वि ूवतामते		35ण31	53ण76	15ण44

ैवनतबम रू वंपिबम वि जीम त्महपेजतंत ळमदमतंसए प्दकपं
छवजमरू ॅवतामते पदबसनकम इवजी उंपद ूवतामते ंदक उंतहपदंस ूवतामतेण

भारत में उपयुक्त तालिका क्रमांक 2 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष में कुल श्रमिकों की संख्या 39.79 प्रतिशत है जिसमें से 53.26 प्रतिशत पुरूष श्रमिक एवं 25.51 प्रतिशत महिला श्रमिकों का है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाय तो कुल श्रमिकों का प्रतिशत 41.83 है जिसमें पुरूष श्रमिकों का 53.03 प्रतिशत और महिला श्रमिकों का 30.02 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाय तो कुल श्रमिक 35.31 प्रतिशत जिसमें से 53.76 प्रतिशत पुरूष एवं 15.44 प्रतिशत महिला श्रमिक है।

कुल महिला श्रमिकों कार्य के आधार पर प्रतिशत का विश्लेषण

तालिका क्र.–3

ब्मदेने लमंत	च्मतबमदजंहम जव ज्वजंस थ्मउंसम च्वचनसंजपवद				
	थ्मउंसम डंपद ूवतामते	ब्नसजपअंजवते	।हतपबनसजनतंस स्ंइवनतमते	भ्वनेमीवसक प्दकनेजतल	व्जीमत ॅवतामते
1	2	3	4	5	6
1981	13ण्99	4ण्65	6ण्46	0ण्64	2ण्24
1991	15ण्93	5ण्51	7ण्05	0ण्55	2ण्82
2001	14ण्68	5ण्11	4ण्51	0ण्95	4ण्11
2011	25ण्5	24ण्0	41ण्1	5ण्7	29ण्2

तालिका क्रमांक 3 में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है 1981 में कुल महिला श्रमिकों की संख्या 13.99 प्रतिशत थी जिसमें से 4.65 प्रतिशत महिलाएं किसान, 6. 46 प्रतिशत महिला श्रमिक कृषि कार्य, 0.64 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कार्य में एवं 2. 24 प्रतिशत महिलाएं अन्य कार्य में कार्यरत है। इसी प्रकार वर्ष 1991 में कुल महिलाओं का प्रतिशत 15.93 जिसमें से 5.51 प्रतिशत किसान, 7.05 प्रतिशत कृषि कार्य, 0.15 प्रतिशत घरेलू कार्य एवं 2.82 प्रतिशत अन्य कार्यों में संलग्न है। 2001 के आंकडों से स्पष्ट होता है कुल महिला श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत 14.68 है जिसमें से 5.11 किसान, 4.51 कृषि कार्य, 0.95 प्रतिशत घरेलू कार्य एवं 4.11 प्रतिशत अन्य कार्यों में कार्यरत है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला श्रमिकों की कुल कार्य में वृद्धि होकर 25.5 प्रतिशत है जिसमें से 24.0 प्रतिशत किसान, 41.1 प्रतिशत कृषि कार्य, 5.7 प्रतिशत घरेलू आधारित एवं 29.2 प्रतिशत अन्य कार्यों में संलग्न है। उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि भारत वर्ष में महिला श्रमिकों को रोजगार में लगातार वृद्धि हो रही है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

- भारत में आज भी बालिकाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता जहा बालिकाऐं बड़ी होकर अशिक्षित होने के कारण महिला श्रमिक के रूप में उभरकर सामने आती है। प्राथमिक शिक्षा से कोसों दूर या अनपढ़ महिला श्रमिक अपने कार्य का सही मूल्यांकन नहीं कर पाती और कितनी भी

कुशलता पूर्वक कार्य करने में सम्पन्न हो पर अपने अधिकारों के प्रति सजग न होने के कारण कार्यस्थल पर शोषण की शिकार होती है।

- भारत एक विकासशील देश है पर यहां की 90ः आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण अधिकतर महिला श्रमिक कृषि कार्यों में लगी रहती है परंतु भारतीय कृषि को 'मानसून का जुआ' कहां जाता है। कई बार जहां प्राकृतिक आपदा के कारण भूखमरी की स्थिति हो जाती है महिला श्रमिक अपने परिवार के पालन–पोषण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते है। अतः पलायनवादी स्वभाव के कारण भी इनको मिलने वाली मजदूरी कम होती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक अपने सीमित साधनों के कारण कई बार अपने भूस्वामी या ठेकेदार से ऋण ले लेते है चूंकि इनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता एवं ऋण की राशि लौटाने में असमर्थ होने के कारण महिला श्रमिक मजबूरी में कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए बाध्य होती है।
- अध्ययन के दौरान देखने मिला कि सरकार ने महिला श्रमिकों को समान वेतनमान, कार्य के घंटे समान, मातृत्व हित योजना आदि योजाएं सरकार द्वारा दी जा रही है परंतु महिला श्रमिकों को अशिक्षित पलायन वाली स्वभाव एवं अधिकारों के प्रति सचेत न होने के कारण इन्हें जानकारी नहीं रहती।महिला श्रमिकों का भारतीय श्रम व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। इन महिलाओं की स्थिति का आंकलन करने पर शोधार्थी ने पाया कि महिला श्रमिकों के उत्थान के लिए जो नीतियाँ बनाते है उनका मुख्य उद्देश्य महिला श्रमिकों के काम में आने वाली अड़चने समाप्त करने, वेतन के बारे में सौदेबाजी कर जाने की उनकी क्षमता बढ़ाने, उनका वेतन और उनकी कार्यस्थिति में सुधार लाने, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर केन्द्रित करना चाहिए।
- श्रमिकों अधिकांशतः महिला श्रमिकों का अशिक्षित होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आवश्यकता है कि इन महिला

श्रमिकों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए इनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें शिक्षित किया जाए जिससे वे श्रमिक शिक्षित एवं जागरूक होकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम से अवगत होकर लाभान्वित हो सकेगें।

- अध्ययन के दौरान शोधार्थी ने पाया कि सरकार तो इनके उत्थान के लिए व्यापक प्रचार एवं प्रसार कर रही है परंतु इस महिला श्रमिकों को इनकी जानकारी नहीं है अतः सरकार को चाहिए वो ग्रामीण क्षेत्र में समाचार पत्र, टेलीवीजन, नुक्कड नाटक, वहां की स्थानीय सरकार के नाटक, वहां की स्थानीय सरकार के माध्यम से उनके लिए चलाए जा रहे (कार्यक्रमों) या नीतियों की जानकारी दे वे ये महिलाएं जिस भी संस्था या ठेकेदार के यहां कार्य कर रही है उस संस्था या ठेकेदार को नियमों का कड़ाई से पालन न करने के निर्देश दिए जाने एवं पालन करने की दशा में कठोर कदम उठाए जाऐं।

संदर्भ व ग्रंथ सूची

1. डॉ. बाबेल बसनतीलाल (1999) महिला एवं बाल कानून सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद
2. जैन एस.के. (1999) महिलाओं का उत्पीड़न एवं विविध उपहार, इण्डिया ला हाउस, इन्दौर
3. डॉ. नायक शशी